EX. जुलाई 1973

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895

No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th *July* 1973

S.O. 376(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby makes the following Order to amend the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This order may be called the Fertiliser (Movement Control) (Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973—

(a) in Clause 3, in the proviso, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) by a manufacturer specified in column 2 of the Schedule to this Order or by his branch or subordinate office, in respect of fertilisers manufactured by such manufacturer, branch or subordinate office; or"

(b) in the Schedule—

(1) column 3 shall be omitted;

(2) after Serial No. 33 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of the Manufacturer
1	2
"34.	D.C.M. Chemical Works, Delhi.
35.	Bharat Fertiliser Industries Ltd., Bombay.
36.	Kothari (Madras) Ltd., Ennore, Madras.
37.	Western Chemical Industries Ltd., Bombay."

[No. 10-19/72-MPR STU.]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

का० आ० 376(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (संचलन नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में,—

(क) खण्ड 3 में, परन्तुक में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(i) इस आदेश की अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट विनिर्माता या उसकी शाखा या अधीनस्थ कार्यालय द्वारा विनिर्मित उर्वरकों की बाबत ऐसे विनिर्माता, शाखा या अधीनस्थ कार्यालय द्वारा, अथवा"

(ख) अनुसूची में—

(1) स्तम्भ 3 का लोप कर दिया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

क्रम सं०	विनिर्माता का नाम
(1)	(2)
"34	डी० सी० एम० केमिकल वर्क्स, दिल्ली
35	भारत फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई
36	कोठारी (मद्रास) लिमिटेड, एन्नोड़, मद्रास
37	वैस्टर्न केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई ।"

[सं० 10-19/72-एम पी आर एस टी यू]

कुमारी अन्ना आर जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973